



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 190 राँची, शुक्रवार, 22 मार्च, 2024 (ई०)

2 चैत्र, 1946 (श०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

3 जनवरी, 2024

संख्या-4/विविध-10-07/2023 का.- 55--कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 6472 दिनांक 21.07.2015 तथा अधिसूचना संख्या 6744 दिनांक 24.12.2020 द्वारा झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए विभिन्न स्तर के संवर्गीय पदों की संख्या निर्धारित एवं चिन्हित है।

2. झारखण्ड प्रशासनिक सेवा संवर्ग की संख्या एवं संरचना से यह परिलक्षित होता है कि अन्य राज्यों की अपेक्षा झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के सदस्य बहुत उम्र होने पर अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर, अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर, संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर, अपर सचिव, विशेष सचिव तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नत होकर पहुँच पाते हैं जिसके कारण क्षेत्रीय प्रशासन में युवा एवं परिश्रमी पदाधिकारियों की कमी रहती है।

3. उपर्युक्त समस्या का समाधान यह हो सकता है कि झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को प्रथम नियुक्ति के अवसर पर अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर पर पदस्थापित किया जाए तथा इतनी संख्या रखी जाए कि आगे वरीय पदों पर प्रोन्नति शीघ्र हो सके। इसके लिए झारखण्ड प्रशासनिक सेवा संवर्ग का पुनर्गठन कर प्रीमियर सेवा बनाने के साथसाथ झारखण्ड राजस्व सेवा एवं झारखण्ड ग्रामीण विकास सेवा का गठन कर किया जा सकता है।

4. अतः सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार ने बिहार राज्य के तर्ज पर झारखण्ड प्रशासनिक सेवा संवर्ग का पुनर्गठन कर प्रीमियर सेवा के गठन एवं पदों के पुनर्संरचना हेतु तथा प्रखण्ड एवं अंचल में पदस्थापन के लिए अधीनस्थ झारखण्ड राजस्व सेवा एवं झारखण्ड ग्रामीण विकास सेवा के गठन पर विचार कर सरकार को अनुशंसा करने हेतु निम्नवत समिति गठित करने का निर्णय लिया है:-

- | | | |
|---|---|-------------|
| (क) मुख्य सचिव | - | अध्यक्ष |
| (ख) विकास आयुक्त | - | सदस्य |
| (ग) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग | - | सदस्य |
| (घ) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, ग्रामीण विकास विभाग | - | सदस्य |
| (ङ.) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | - | सदस्य |
| (च) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | - | सदस्य- सचिव |

5. समिति अपनी अनुशंसा गठित कर तीन माह के अंदर राज्य सरकार को समर्पित करेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के उप सचिव।
